न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

भू–हदबंदी वाद संख्या– 02/2018–2019
मे0 लुकमान अंसारी बनाम् फेयाजुल अंसारी एवं अन्य

आदेश

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लुकमान अंसारी वल्द नन्हक मियां साकिन– खपरो थाना– रंका वो अंचल– रंका जिला–गढ़वा के दिये गये आवेदन पत्र पर भू–हदबंदी वाद संख्या– 02/2018–2019 यह वाद प्रारम्भ किया गया है। यह वाद में विपक्षी फेयाजुल अंसारी वल्द इसहाक अंसारी कायम जाति मुश्लिम ग्राम– खपरो थाना– रंका अंचल– रंका के नाम से केवाला संख्या– 2171/2158 दिनांक 31.07.2018 द्वारा कय की गई है। भूमि ग्राम– खपरो के खाता संख्या– 44 पुराना, नया– 07, प्लॉट संख्या– 257 पुराना, नया– 427, रकबा– 0.20 ए0, खाता सं0– 44 पुराना, नया– 07, प्लॉट सं0– 541 पुराना, नया– 1082, रकबा– 0.07 ए0, खाता सं0– 44 पुराना, नया– 07, प्लॉट सं0– 560 पुराना नया– 1546, रकबा– $0.11\frac{1}{4}$ ए0 कुल रकबा– $0.38\frac{1}{4}$ ए0 भूमि के विरूद्व में आवेदक द्वारा इस कार्यालय में अपील दायर किया है। नोटिस के उपरांत दोनो पक्ष का विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस की गई, तथा लिखित जवाब समर्पित किया गया। जिसका अवलोकन किया गया तथा अंचल अधिकारी, रंका का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसका विधिवत अवलोकन के पश्चात पाया, कि ग्राम– खपरों के खाता संख्या– 07 प्लॉट– 1546, 1082 वो अन्य कुल रकबा– 5.67 ए0 भूमि का हाल सर्वे खतियानी रैयत अब्दुल मियां वगैरह के नाम से सम्मिलात में है। केवाला संख्या– 2158 दिनांक 31.07.2018 के माध्यम से फेयाजुल अंसारी वल्द इसहाक अंसारी ने अकतरी बीबी पति जिकरूल इंसारी मांगधारी के पोती द्वारा हिस्सा के अनुसार बिकी की गई है। ग्राम– खपरों के खाता संख्या– 07 प्लॉट– 427 रकबा– 0.20 ए0 एवं प्लॉट– 1082 रकबा– $0.7\frac{1}{2}$ ए0 एवं प्लॉट– 1546 रकबा– $0.11\frac{1}{4}$ ए0 कुल रकबा– $0.38\frac{1}{4}$ ए0 यानि पौने उन्चालिस डी0 भूमि पर केता का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा प्लॉट– 1546 में मकान भी अवस्थित है तथा निवास करते है। इन्हे कभी भी हटाया नही जा सकता है। उपस्थित ग्रामीणों के पुछ–ताछ के कम में उल्लेख किया गया कि आपतिकर्ता यानि मो0 लुकमान अंसारी वल्द स्व0 नन्हक मियां द्वारा उक्त भूमि की कय करने से इच्छा प्रकट नहीं किया गया था, तथा केता के नाम से उक्त भूमि निबंधन कराने के उपरांत अपील दायर किया गया। अतः न्यायालय अब इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस वाद में संलग्न कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 322 दिनांक 13.08.2021 के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मो0 लुकमान अंसारी का अपील आवेदन पत्रचलने योग्य (Maintainable) नही है। तथा विपक्षी के पक्ष में उक्त भूमि का नियमानुसार नामांतरण की कार्रवाई करने हेतु अंचल अधिकारी, रंका को आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, रंका को आदेश निर्गत करें। इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 13/8/21 उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2022.10.20 00:47:30 -07:00
Location: 192.168.144.182